



Neutral Citation No.-2026:AHC:128517

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-19855/2026

दिलीप गौड़ उर्फ गब्बर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता:

सुभाष चंद्र तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना-लालगंज, जनपद-बस्ती के भा.न्या.सं. की धारा 105, 352, 115(2) के अधीन मुकदमा अपराध संख्या 111/2026 में आवेदक की जमानत पर रिहाई हेतु दाखिल किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक को कोई हथियार नहीं दर्शाया गया है। अभियोजन के आरोप के अनुसार, आवेदक ने अपनी लात से चोट पहुंचाई। मृतका के शरीर पर दो संकुचन (कंटूजन) पाए गए। चोट संख्या 1 दाहिने कान से 8 सेमी ऊपर, दाहिने फ्रंटो-टेम्पोरो-पैराइटल क्षेत्र पर संकुचन थी। चोट संख्या 2 दाहिने स्तन क्षेत्र, अगली छाती की दीवार पर संकुचन थी। मृत्यु का कारण एंटी-मॉर्टम सिर की चोट के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव था। यह भी कहा गया कि प्रथम सूचनाकर्ता के बयान के अनुसार, मृतका को आवेदक की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आवेदक को मृतका की मृत्यु का कोई ज्ञान या आशय नहीं था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आवेदक दिनांक 24.04.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अधि. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहाई का अधिकारी नहीं है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी निवेदनों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य आवेदक द्वारा भोगे गए कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने का मामला बना लिया है।
7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपरोक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदक-**दिलीप गौड़ उर्फ गब्बर** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का शपथपत्र दाखिल करेगा कि जिस तिथि साक्ष्य के लिए नियत की गई हो तथा जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों तो वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भा.दं.सं./269 भा.न्या.सं. के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण की अवधि में जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./84 भा.ना.सु.सं. के अधीन उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए भा.दं.सं./209 भा.न्या.सं. के अधीन उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप विरचन, तथा (3) धारा 313 दं.प्र.सं./351 भा.ना.सु.सं. के अधीन बयान दर्ज करने के लिए नियत तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

ए.पी. पांडेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”